न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1638–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल प्रकरण कमांक 280/अ–6/2014–15.

1– नसीर खां पिता स्व. बशीर खां
2– बजीर खां पिता स्व. बशीर खां
3– भैया मिया पिता स्व. बशीर खां
4– संदल बी पत्नी स्व. बशीर खां
5– श्रीमती मुन्नी बी पत्नी सुलतान
6– श्रीमती बिलकीस बी पत्नी इलाही बक्श
7– श्रीमती परवीन बी पत्नी नियामत खां
तीनों पुत्रीगण स्व. बशीर खां
8– बिब्बो पत्नी स्व. बाबू खां
9– नवाब पिता स्व. बाबू खा
10– हसीन पिता स्व. बाबू खा
11– उवेद पिता स्व. बाबू खा
निवासीगण ग्राम कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
12– मेहरीन पत्नी हकीम
निवासी ग्राम कोड़िया जिला सीहोर
13– अमरीन पत्नी शेख कदीर
दोनों पुत्रियां स्व. बाबू खां
निवासी कैम्प नं. 12, बैरागगढ़, भोपाल ..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मुश्ताक खां पुत्र स्व. ईशाक खां
2– शहजादे खां पुत्र स्व. ईशाक खां
3– अफरोज पुत्री स्व. ईशाक खां
4– फिरदोश बी पुत्री स्व. ईशाक खां
5– बिल्लो बी पत्नी स्व. ईशाक खां
निवासीगण ग्राम कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

श्री डी0डी0 मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती माधुरी खत्री, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/9/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के पिता एवं अनावेदिका कमांक 5 के पति स्व. ईशाक खां के नाम ग्राम कलखेड़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 140, 141, 162, 197, 200, 237, 349 एवं 353/1 कुल किता 8 कुल रकबा 3.720 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 198, 199, 200/1/1, 350, 351 एवं 352 कुल किता 6 कुल रकबा 3.650 हेक्टेयर में से स्व. ईशाक खां का 0.405 हेक्टेयर हिस्सा है । उनका देहान्त दिनांक 26–9–2014 को हो चुका है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनका नामांतरण स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 280/अ–6/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आपत्ति उठाई गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–4–16 को आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की गई । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण की ओर से लिखित तर्क में उठाया गया यह आधार उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण की आपत्ति को निरस्त करते हुए आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की गई है, क्योंकि वास्तव में तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, और आवेदकगण द्वारा आपत्ति

प्रस्तुत की गई थी, जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया है ।

(2) आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि जिस भूमि पर नामांतरण हेतु अनावेदकगण द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उस भूमि के ईशाक खां भूमिस्वामी ही नहीं है ।

(3) तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 35/अ–27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 13–8–14 के अनुसार ग्राम कलखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 349 रकबा 0.230 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 350 रकबा 0.540 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 351/1 रकबा 0.560 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 352 रकबा 0.550 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 353/1 रकबा 0.920 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 356 रकबा 0.020 हेक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.820 हेक्टेयर के ही भूमिस्वामी हैं, अतः अनावेदकगण को केवल उपरोक्त भूमियों के ही नामांतरण की पात्रता है ।

(4) तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 13–8–18 वर्तमान में अस्तित्व में है, जिसे वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अपील में निरस्त नहीं की गई है, और उक्त बटवारा आदेश के विरूद्ध अपील विचाराधीन होने से बटवारा आदेश को परिवर्तित करने की अधिकारिता तहसील न्यायालय को नहीं है, इसलिए अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्ती योग्य है ।

(5) तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की आपत्ति के संबंध में एक भी शब्द अपने आदेश में अंकित नहीं किया गया है ।

(6) ईशाक खां के जीवनकाल में उनकी सहमति से बटवारा आदेश दिनांक 13–8–18 को पारित किया गया है, अतः उसकी मृत्यु के उपरांत अनावेदकगण ईशाक खां को हिस्से में प्राप्त भूमि पर नामांतरण कराने के अधिकारी हैं, अन्य भूमि पर नहीं ।

(7) तहसील न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 20–4–16 में बटवारा आदेश दिनांक 13–8–18 का न तो कोई उल्लेख किया गया है, और न ही उस पर विचार किया गया है ।

(8) तहसीलदार के पूर्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–8–18 को त्रुटिपूर्ण ठहराने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, केवल अपीलीय न्यायालय ही उसे त्रुटिपूर्ण

ठहरा सकते हैं, और उक्त आदेश के अस्तित्व में रहने पर तहसीलदार द्वारा नामांतरण नहीं किया जा सकता है ।

तर्कों के समर्थन में 1991 (।।) एम.पी.डब्ल्यू.एनं. 25 (सुप्रीम कोर्ट), 2002 आर.एन.359 (उच्च न्यायालय), 2001 आर.एन. 183 (उच्च न्यायालय), 1995 आर.एन. 419 (उच्च न्यायालय), 2001 आर.एन. 183 (उच्च न्यायालय), 2005 आर.एन. 205, 2005 आर.एन. 72, 1994 आर.एन. 110, 1997 आर.एन. 241 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में उनके पिता की मृत्यु होने के उपरांत प्राकृतिक वारिसान की हैसियत से फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, और अनावेदकगण द्वारा तथाकथित वसीयतनामा के आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उभय पक्ष को सुनकर तहसील न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से आपत्ति स्वीकार की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है।

(2) आवेदकगण की ओर से तहसीलदार के प्रकरण कमांक 35/अ–27/12–13 में पारित आदेश दिनांक 13–8–14 के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया है, उसका कोई भी उल्लेख तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में नहीं किया गया है ।

(3) अनावेदकगण स्व. ईशाक खां के बदले स्वयं का फौती नामांतरण चाहते हैं, और तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 13–8–14 अंतिम नहीं हुआ है, क्योंकि उक्त आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दो अपीलें विचाराधीन हैं ।

(4) तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश दिनांक 13–8–14 विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण आदेश होकर संहिता की धारा 178 के विपरीत है, क्योंकि उक्त आदेश से 12 अलग–अलग खातों की अनेकों परिवार के 120 एकड़ भूमि का बटवारा हुआ है, जबकि अनावेदकगण खातेदार ईशाक खां की मृत्यु पश्चात उसकी भूमि पर वारिसाना नामांतरण चाहते हैं ।

(5) आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इस प्रकरण में बटवारा आदेश अंतिम नहीं हुआ है ।

(6) आवेदकगण द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय में कार्यवाही लंबित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है, इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है ।

(7) तहसीलदार द्वारा दिनांक 20–4–16 को आवेदकगण को वसीयतनामा की मूल प्रति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु वह तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है, और न ही मूल वसीयतनामा प्रस्तुत की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी ईशाक खां की मृत्यु होने पर अनावेदकगण द्वारा वारिसाना नामांतरण का आवेदन पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया, और तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 280/अ–6/14–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आपत्तिकर्ता द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे तहसील न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की गई, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि आवेदकगण द्वारा बटवारे के आधार पर प्रविष्टि की कार्यवाही होने से नामांतरण की कार्यवाही समाप्त करने संबंधी आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि बटवारे के आधार पर प्रविष्टियों की कार्यवाही पृथक विषय वस्तु है, और इसके आधार पर नामांतरण की कार्यवाही समाप्त नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त तहसील न्यायालय में उभय पक्ष को गुण–दोष पर अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर